

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पूर्वावासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 कमांक 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 01 में नारायणी बैराज योजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम नारायणी तहसील आलोट जिला रतलाम की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषक एवं सर्वे कमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम नारायणी

क	विवरण	तहसील आलोट		
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टैयर में		
1	2	सिंचित	असिंचित	कुल
		5	6	7
1	नारायणी बैराज योजना के डूब प्रभावित होने से	0.020	—	0.020

अनुसूची (2)

नारायणी बैराज योजना अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम नारायणी की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम नारायणी

क.	कृषक का नाम व पिता का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टैयर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	नागुसिंह पिता फतेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नारायणी	360/1	0.340	0.00	0.340	0.020	0.00	0.020

म.प्र. शासन के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(कुमार पुरुषोत्तम)

कलेक्टर

एवं पदेन उप सचिव म0प्र0

शासन राजस्व विभाग रतलाम (म0प्र0)

निरन्तर (2) पर